भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3585
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

दादरा और नगर हवेली के सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात

3585. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के जनजाति-बहुल खंडों में उन बसावटों की संख्या कितनी है जहाँ बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार क्रमशः एक किलोमीटर और तीन किलोमीटर के दायरे में किसी भी सरकारी प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पहुँच प्राप्त नहीं है;
(ख) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात का ब्यौरा क्या है और स्वीकृत क्षमता में से कितने पद रिक्त पड़े हैं; और
(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रण में आते हैं।

दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, दादरा और नगर हवेली ज़िले के जनजातीय-बहुल ब्लॉक में ऐसा कोई अधिवास नहीं है जहाँ बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्दिष्ट नजदीकी सांविधिक सीमा के अंदर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षा से वंचित हों। संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, ज़िले ने आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुपालन में 100% सार्वभौमिक नजदीकी स्कूल कवरेज की उपलब्धि अर्जित की है।

दादरा और नगर हवेली ज़िले के सरकारी स्कूल, आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार 1:30 का छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखते हैं। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, नए स्कूल खोलने और विद्यार्थियों की नामांकन संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षकों की आवश्यकता में बढ़ोतरी जैसे कारकों के परिणामस्वरूप रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।

संघ राज्य क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 06.01.2024 के भर्ती विज्ञापन के अनुसरण में स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के 281 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को दिनांक 22.11.2025 को विज्ञापित किया गया था।
